न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बइजलास हीरालाल मीना, उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

राजस्व प्रा.प. संख्या 95/2015

प्रार्थी :-

1. खेराजराम पुत्र श्री बालूराम जाति रेगर निवासी मोकलपुर तहसील मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. तहसीलदार, मेड़ता
2. पटवारी हल्का, मोकलपुर

प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान अधिनियम

निर्णय दिनांक – 5.10.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा मोकलपुर के सरहद में खेत पुराना खसरा नं. 1262 रकबा 10 बिस्वा की जमीन प्रार्थी के पिता बालूराम पुत्र [illegible] जाति रेगर की आई हुई थी, जिसमें सहवन से खतौनी सम्वत 2044 से 2049 में खसरा नं. 1262 की जगह खसरा नं. 1261 दर्ज हो गई जिस पर शुद्धिपत्र हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब मेड़ता के आदेश क्रमांक 418 दिनांक 10.09.1989 के द्वारा शुद्धिपत्र संख्या 5 के द्वारा खसरा नं. 1261 की जगह 1262 संशोधित किया तभी से प्रार्थी व उसके पिता खसरा नं. 1262 पर ही काबिज रहे है, जिसकी खतौनी की फोटो कॉपी साथ में पेश है। अभी हाल ही में जो सेटलमेन्ट हुआ, उसमें खसरा नं. 1262 व 1262 मीन के नये खसरा नं. 1363 हुये उसमें प्रार्थी के पिता के फौतगी म्यूटेशन छूट जाने से माननीय न्यायालय में धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 14.03.2015 को स्वीकार हुआ अब प्रार्थी को पुराने दस्तावेज व मौके अनुसार पुराने रेकर्ड प्राप्त किया तो प्रार्थी को पता चला की पुराना खसरा नं. 1262 का नया खसरा नं. 1363 बने है व प्रार्थी की खातेदारी खसरा नं. 1362 में बोल रही है जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश है। खातेदारी खसरा नं. 1363 में होते हुए भी नाम खसरा 1362 में दर्ज होने से प्रार्थी को खातेदरी अधिकार प्राप्त नहीं है, इस प्रकार प्रार्थी को बहुत ही अपूर्णीय क्षति हो रही है व खातेदारी खसरा नं. 1363 में दर्ज नहीं होने से कानूनी पेचिदगियां बढेगी, जिससे रेकर्ड दुरुस्ती हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थीगण राजस्व अधिकारी व भूमिधारी है जो उक्त राजस्व रेकर्ड व रकबा को दुरुस्त करने वाले है, इसलिए इन्हे पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम मोकलपुर के खसरा नं. 1362 में दर्ज खातेदारी रकबा 0.08 हैक्टेयर की जगह खसरा नं. 1363 में प्रार्थी का रकबा 0.08 हैक्टेयर दर्ज किया जा कर रेकर्ड दुरुस्त किया जावे व खसरा नं. 1362 कुल रकबा 2.30 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (ना.)

जमीन कम कर रकबा 2.22 हैक्टेयर दर्ज किया जावें व खसरा नं. 1363 के मूल रकबा 1.85 हैक्टेयर में रकबा 0.08 हैक्टेयर बढाकर रकबा 1.93 हैक्टेयर दर्ज किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करवावें।

अप्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मोकलपुर संवत 2067 से 2070 खाता संख्या 1109 खसरा नं. 1362 खाता संख्या 1098 खसरा नं. 1362, जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 खाता संख्या 383 खसरा नं. 1261/1875 , खाता संख्या 104 खसरा नं. 1262 मीन जमाबन्दी संवत 2067 से 2083 खाता संख्या 12 , जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 1245 खसरा नं. 1362, मिलान खसरा , नक्शा ट्रेस फोटो प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाबदेही तलब किया गया। तहसीलदार भू अभिलेख मेडता ने अपने पत्रांक भूअ/शुद्धि/2017/97 दिनांक 13.04.2017 द्वारा पटवारी हल्का की मूल रिपोर्ट अभिशषा के साथ भिजवाई है पटवारी हल्का मोकलपुर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ग्राम मोकलपुर के पुराने खसरा नं. 1261/1875 रकबा 10 बिश्वा की खातेदारी जमाबन्दी चौसाला संवत 2047 से 2051 के खाता संख्या 382 में बालूराम पुत्र पेमाराम कौम रेगर सा.देह के नाम दर्ज है। जरिये शुद्धि पत्र संख्या 5 आदेश क्रमांक 418 दिनांक 16.09.1989 के द्वारा खसरा नं. 1261 /1875 की जगह खसरा नं. 1262 मे बालूराम पुत्र पेमाराम जाति रेगर के नाम 10 बिश्वा खातेदारी दर्ज की है जमाबन्दी की नकल साथ में सलग्न है पुराना नामान्तरकरण संख्या 2150 के द्वारा बालूराम फौत के स्थान पर खैराजराम पुत्र बालुराम दर्ज किया गया नवीन भू.प्रबधक विभाग के द्वारा पुराने खसरा न. 1262 के नये खसरा नं. 1363 रकबा 1.85 हैक्टेयर कायम किये है प्रार्थी की खातेदारी नये खसरा नं. 1363 में भू. प्रबंध विभाग द्वारा दर्ज कर दी गई है। जो कि गलत है जबकि प्रार्थी की खातेदारी नये खसरा नं. 1363 मे दर्ज होने थी तथा प्रार्थी का कब्जा भी खसरा नं. 1363 मे ही चला आ रहा है अतः खसरा नं. 1362 रकबा 0. 08 हैक्टेयर को अलावा नाकाबिल काश्त दर्ज कर खसरा नं. 1363 रकबा 1.85 हैक्टेयर मे से 0.82 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना उचित है।

विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उन्होंने माफिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवदेन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तहसीलदार मेडता की रिपोर्ट क्रमांक भूअ/शुद्धि/2017/97 दिनांक 13.04.2017 स्वीकार की जाकर निम्न प्रकार रेकर्ड दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश

मौजा मोकलपुर के खसरा नं. 1362 रकबा 0.08 हैक्टेयर को अलावा नाकाबिल काश्त दर्ज कर खसरा नं. 1363 रकबा 1.85 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (नाग.)

Scanned by CamScanner

में से 0.82 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्ती किया जावें।

तहसीलदार मेड़ता यदि किसी न्यायलय का स्थगन आदेश या अन्यथा कोई आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5-10-2019 को लोकअदालत में सुनाया गया।

(हीरालाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner